

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2522] No. 2522] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2016/आश्विन 29, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2016/ASVINA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3256(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमाकांक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 835(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2015 द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क के अधीन गठित अपील अधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात्ः—

1. श्री हीरक बासु,

सदस्य (अंशकालिक)

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से

31, सोना विला, पेरी क्रॉस रोड,

बांद्रा (पश्चिमी),

मुम्बई-400050.

सूश्री विभा बगारिया,

सदस्य (अंशकालिक)

27 दिसम्बर, 2016 से

जी-2305, ओबरॉय स्प्लेंडर ग्रेन्डे,

जे.वी.एल.आर. अंधेरी (पूर्व),

मुम्बई-400050.

2. सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या उसके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

[फा. सं. एम. - 18013 / 02 / 2011 - बीमा.1]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

4943 GI/2016 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

S.O. 3256(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby appoints the following persons as part-time Members to the Appellate Authority constituted under Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) by the Central Government, Ministry of Corporate Affairs, *vide* notification number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:—

1.	Shri Heerak Basu, 31, Soona Villa, Perry Cross Road, Bandra (W) Mumbai-400050	Member(Part-time)	With effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette
2.	Ms. Vibha Bagaria, G-2305, Oberoi Splendor Grande, JVLR, Andheri (E), Mumbai-400060	Member(Part-time)	With effect from 27 th December, 2016

2. Person appointed as a Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters his office or until he attains the age of sixty-seven years or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. M-18013/02/2011-Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor